प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 21, फरवरी 2006

वित्त मंत्री श्री राघवजी ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2006-07 का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष के दौरान बजट घाटा रुपये (-)48.55 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। वर्ष 2006-07 के लिये वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का संक्षिप्त लेखा एवं वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः-

(रुपये करोड़ में)

	प्राप्तियां	**व्यय**	**घाटा(-)/वृद्धि (+)**
राजस्व खाता	23480.19	22509.97	970.22
पूंजी व्यय	-	5168.54	
शुद्ध लोक ऋण	5169.58	-	
ऋण एवं अग्रिम	43.69	719.04	
लोक लेखा से विशुद्ध	-75.75	-	
वर्ष का विशुद्ध संव्यवहार	**28617.71**	**28397.55**	**220.16**
प्रारंभिक शेष			**-268.71**
अंतिम शेष			**-48.55**

इस बजट के द्वारा, शासन ने उन वादों को पूरा करने के लिये एक और कदम उठाया है, जो जनता से किये गये थे। यह बजट सरकार की प्राथमिकताओं - सड़क, सिंचाई, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को दर्शाता है। यह बालिका शिक्षा पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है ताकि वे भी विकास प्रक्रिया में भागीदार बन सकें। तथ्य यह है कि पिछले दो वर्षों में राज्य में ओव्हर ड्राफ्ट की स्थिति नहीं आने दी गई है ओर इस वर्ष अर्थोपाय अग्रिम भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जो दिन प्रतिदिन के राजकोषीय प्रबंधन में सुधार का प्रमाण है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि तेरह वर्ष बाद राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत हुआ है, जो पूंजीगत व्यय के लिये उपयोग में लाया जावेगा। इस बजट का एक अद्वितीय पहलू यह भी है कि इसके माध्यम से मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 2009-10 तक पूर्ण हो सकेगी। यह प्रयास दर्शाते है कि सरकार पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्यक्रम के द्वारा विकास कार्यो के लिये कटिबद्ध है।

- वित्तीय वर्ष 2006-07 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां रुपये 23480.29 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि रुपये 10029.46 करोड़, केन्द्रीय करों में हिस्सा रुपये 7015.17 करोड़, करेत्तर राजस्व रुपये 2059.08 करोड़ एवं रुपये 4376.48 करोड़ केन्द्र से प्राप्त अनुदान शामिल है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में वर्ष 2005-06 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व के पुनरीक्षित अनुमानों से 12.27 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

- वित्तीय वर्ष 2006-07 में राजस्व व्यय रुपये 22509.97 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2005-06 के पुनरीक्षित अनुमानों से रुपये 21369.90 से रुपये 1140.07 करोड़ अधिक है।

- वर्ष 2005-06 के पुनरीक्षित अनुमान में रुपये 25.49 करोड़ राजस्व घाटे के विरुद्ध वर्ष 2006-07 का राजस्व आधिक्य रुपये 970.22 करोड़ आँका गया है।

- बेहतर वित्तीय प्रबंधन। 13 वर्षों के बाद राजस्व आधिक्य का बजट पेश। वर्ष 2005-06 में 32 वर्षों के उपरांत एक भी दिन भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

- वर्ष 2006-07का प्रारंभिक शेष रुपये (-) 268.71 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित रुपये 220.16 करोड़ है, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2006-07 के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार रुपये (-)48.55 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है। इसकी प्रतिपूर्ति अतिरिक्त संसाधन जुटाकर तथा मितव्ययिता के उपाय अपनाकर की जायेगी।

- वर्ष 2005-06 के पुनरीक्षित अनुमान में अनुमानित राजकोषीय घाटा रुपये 4768.90 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2006-07 का अनुमानित राजकोषीय घाटा रुपये 4873.67 करोड़ होना संभावित है।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम 30 जनवरी 2006 से लागू किया जा चुका है। इन प्रावधानों के तहत इस

बजट के साथ वृहद् आर्थिक रुपरेखा विवरण, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति युक्ति विवरण तथा अन्य प्रकटन विवरण विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

- वर्ष 2005-06 के पुनरीक्षित आयोजना व्यय रुपये 9605.52 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2006-07 में आयोजना व्यय रुपये 10397.74 करोड़ प्रावधानित है। इस आयोजना व्यय में राज्य आयोजना का हिस्सा रुपये 9069.62 करोड़ है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के पुनरीक्षित अनुमान रुपये 1773.10 करोड़ से बढ़कर रुपये 1963.40 करोड़ प्रावधानित है। इसी प्रकार विशेष घटक योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के पुनरीक्षित अनुमान रुपये 920.83 करोड़ से बढ़कर रुपये 1102.27 करोड़ प्रावधानित किया गया है।

- **बिजली:** प्रदेश में बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये वर्ष 2006-07 के बजट में रुपये 503 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु रुपये 344.20 करोड़ एवं उप पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु रुपये 260 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

- **सड़क:** ए.डी.बी. योजना द्वितीय चरण में 1270 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण। वर्ष 2006-07 में ग्रामीण सड़कों (नाबार्ड) हेतु रुपये 195 करोड़, केन्द्रीय सड़क निधि रुपये 93 करोड़, सड़क अधोसंरचना हेतु रुपये 52 करोड़, एवं अन्य के लिये रुपये 192 करोड़ का प्रावधान।

- बाण्ड बी. ओ. टी. प्रणाली के अंतर्गत 256 किलोमीटर के तीन नये मार्ग लागत रुपये 144 करोड़ पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

- वर्ष 2006-07 में लगभग 1000 ग्रामीण सड़कें जिनकी लंबाई 5000 किलोमीटर है तथा लागत 1000 करोड़ है के निर्माण कार्य का प्रारंभ।

- सड़क रख-रखाव हेतु रुपये 429 करोड़ का प्रावधान है।

- विश्वकर्मा भवन नव जीवन अभियान के लिये रुपये 265 करोड़ जिससे सार्वजनिक भवन का रख-रखाव किया जायेगा।

- **सिंचाई:** त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 1071 करोड़ का प्रावधान, सिंचाई कार्य हेतु कुल रुपये 1908 करोड़ का प्रावधान। 275 नई सिंचाई योजनाओं हेतु वर्ष 2006-07 के बजट में शामिल। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में लगभग 2.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित। जून 2006 तक 1.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण का लक्ष्य।

- **शिक्षा:** प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष जोर। सर्वशिक्षा अभियान के तहत आगामी वर्ष के लिये रुपये 1800 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत की गई है जो गत वर्ष से रुपये 507 करोड़ अधिक है। शालाओं में उपस्थिति सुधार एवं स्थायित्व को ध्यान में रखते हुये मध्यान्ह भोजन में अधिक प्रावधान किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाली शेष रहे 29 विकास खण्डों की शालाओं में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जावेगा। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त ऐसी छात्राओं को, जो एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाती है, को निःशुल्क सायकल का प्रदाय किया जावेगा। इस योजना से लगभग 79 हजार छात्राएं वर्ष 2006-07 में लाभान्वित होंगी। गरीबी के रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के छात्र-छात्राओं को बुक-बैंक योजना का लाभ दिया जावेगा। 50 हाई स्कूलों एवं 174 मिडिल स्कूलों का उन्नयन किया जावेगा। इन शाला भवनों के निर्माण के लिये रुपये 19.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- 38 प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावासों को उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तन। 50 सीट के 2 आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्थापना। कन्या शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु प्री मैट्रिक छात्रावासों में 2000 सीट की वृद्धि तथा 50 नये प्री मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना। आदिवासी क्षेत्र में 25 हाई स्कूल एवं 50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण।

- **स्वास्थ्यः** संस्थागत प्रसव सुविधा हेतु 1200 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत कर भरती किया जाना, 500 प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर चौबीस घण्टे प्रसव सुविधा हेतु 1200 ए.एन.एम. के पद स्वीकृत, दुर्गम उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एक के मान से 1000 ए.एन.एम. के अतिरिक्त पद स्वीकृत। जिला अस्पतालों के 11 भवनों के उन्नयन के लिये रुपये 5.29 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में 161 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 366 उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के निर्माण पर रुपये 45.13 करोड़।

- सागर चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रारंभिक तौर पर रुपये 5 करोड़

- **कृषि तथा ग्रामीण विकासः** जन अभियान समितियों का जिला स्तर पर गठन किया जाकर विकासीय गतिविधियों में जनभागीदारी बढ़ाने का शासन का इरादा बजट प्रावधान में परिलक्षित है। इस हेतु रुपये 2.70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 182 करोड़

- **रोजगार गारंटी योजना** - 18 जिलों में 2 फरवरी 2006 से लागू। इस हेतु राज्यांश के रुप में वर्ष 2006-07 में बजट प्रावधान रुपये 140 करोड़।

- दिसम्बर, 2005 तक 1500 करोड़ से ज्यादा का पूंजी निवेश वृहद एवं मध्यम उद्योगों में हो चुका। पीथमपुर में आटो टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना का कार्य प्रारंभ। इस हेतु 4 हजार एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में 4 इकाईयों द्वारा कार्य प्रारंभ रुपये 200 करोड़ की लागत से।

- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन के अंतर्गत भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं उज्जैन शहरों के विकास के लिये रुपये 65 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि से इन शहरों की अधोसंरचना विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के कार्य किये जावेगें। प्रदेश की मलिन बस्तियों के सुधार के लिये रुपये 32 करोड़ का प्रावधान।

- **पर्यटनः** बजट को दुगना करके रुपये 57.19 करोड़ का प्रावधान। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिये रुपये 55 करोड़ का प्रावधान है। इंदौर एवं भोपाल हवाई अड्डे के विस्तार हेतु रुपये 12.40 करोड़ का प्रावधान। पर्यटन आधारभूत ढ़ांचे के विकास के लिये रुपये 16.75 करोड़ का प्रावधान

- गोकुल ग्राम योजना में रुपये 15 करोड़

- अनुसूचित जाति के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से 119 संस्थाओं के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने तथा अतिरिक्त 35 संस्थाओं के भवन निर्माण करने के लिये रुपये 23.45 करोड़ का प्रावधान

- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अनाथ, निर्धन परिवारों की लड़कियों तथा निराश्रित निर्धन लड़कियों, विधवाओं एवं परित्यक्ताओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए रुपये 5 करोड़।

- **पंचायत पुरस्कार योजनाः** निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचन तथा समुदाय के प्रयासों से अपराधिक घटनायें घटित नहीं होने वाली पंचायतों को पुरस्कार देने के लिये प्रारंभिक तौर पर रुपये 2.40 करोड़ का प्रावधान।

- **कर्मचारी कल्याणः** शासन के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ते एवं राहत के रुप में 3 प्रतिशत, तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में महंगाई भत्ते की दर में जितनी वृद्धि की जायेगी उतना अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा राहत दी जाएगी।

- शिक्षा कर्मियों को उनके मूल वेतन में देय महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की बढौतरी

- पंचायत कर्मियों के मानदेय में रुपये 350 प्रतिमाह की बढौतरी

- स्वयंसेवी होम गार्ड एवं अन्य स्वयंसेवी रैंको को प्रतिदिन मानवेतन में रुपये 20 की वृद्धि

उपरोक्तानुसार कर्मचारी हितों के लिये रुपये 400 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

कराधान/छूट

- 1 अप्रैल, 2006 से प्रदेश में वैट प्रणाली लागू होगी
- गतवर्ष जिन 10 वस्तुओं पर छूट घोषित की गई थी उनके अलावा जनेऊ, पतंग, सबई घास और उससे बनी रस्सी कर मुक्त
- खाद्यान्न वैट से मुक्त
- वैट प्रणाली के तहत कर की दरें भारत शासन द्वारा गठित सशक्त समिति द्वारा निर्धारित अनुसार लागू की जायेगी।
- तम्बाकू स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है अतः इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये सिगार, चुरूट, सिगरेट और तम्बाकू की सिगारेल्लों पर प्रवेश कर की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत। इससे 4 करोड़ की अतिरिक्त आय अनुमानित
- तम्बाकू युक्त पान-मसाला और गुटखा पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की प्रवेश कर। इससे 5 करोड़ की अतिरिक्त आय अनुमानित
- तम्बाकू युक्त पान-मसाला और गुटखा को छोड़कर शेष पान-मसाला और गुटखा पर वर्तमान में 23 प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर एवं 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर, इस तरह कुल कर भार 24 प्रतिशत है। 1 अप्रैल, 2006 से वैट लागू हो जाने पर इन पर 12.5 प्रतिशत की कर दर लागू होगी तथा प्रवेश कर की दर 1 प्रतिशत की दर के स्थान पर 12.5 प्रतिशत
- चूना पत्थर को छोड़कर सीमेंट निर्माता इकाईयों के द्वारा स्टाक ट्रान्सफर किये जाने वाले सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे मालों पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर। अन्तर्राज्यीय बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्रीय विक्रय कर को सीमेंट पर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना। इससे 25 करोड़ की अतिरिक्त आय अनुमानित
- स्व-सहायता समूहों द्वारा रुपये 10 लाख तक के ऋणों को प्रतिभूत करने के लिये बैंकों के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाली प्रत्येक लिखत को स्टाम्प शुल्क से छूट
- कृषि प्रयोजन के लिये बैंकों के पक्ष में निष्पादित बंधक विलेखों तथा विलेखों के भाग के रुप में आडमान विलेखों पर कृषकों द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये रुपये 10 लाख के ऋणों के विरुद्ध प्रतिभूत संबंधी दस्तावेजों पर बिना भूमि सीमा के स्टाम्प शुल्क में छूट तथा रुपये 10 लाख से अधिक राशि के ऋणों के मामले में प्रतिभूति रकम के 1 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क
- राज्य में चालू समुत्थानों के हस्तान्तरण पत्रों पर संपत्ति, जो कि दस्तावेज की विषय वस्तु है के बाजार मूल्य पर 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है। इस प्रकार चालू समुत्थानों की चल संपत्ति, मशीनरी एवं प्लान्ट पर भी अचल संपत्ति की भांति 8 प्रतिशत की दर से शुल्क देय होता है। इस शुल्क के अत्यधिक भार के कारण कम्पनियों के संविलियन एवं अधिग्रहण में दस्तावेजों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। अतः यह प्रस्तावित है कि चालू समुत्थानों के अंतरण के मामलों में प्लान्ट एवं मशीनरी तथा अन्य चल संपत्ति के मूल्य पर शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की जाये तथा किसी एक लिखत पर स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा रुपये 10 करोड़ निर्धारित की जाये। इससे शासन के राजस्व को क्षति नहीं होगी।
- वर्तमान में राज्य के होटलों में 60 रुपये प्रतिदिन वाले किराये के कमरों पर लक्जरी टैक्स से छूट है, 150 रुपये तक प्रतिदिन किराये वाले कमरे पर 5 प्रतिशत की दर से तथा इससे अधिक किराये पर 10 प्रतिशत की दरे प्रभावी है। पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये लक्जरी टैक्स से छूट की सीमा 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तक की गई। 500 रुपये से 1000 रुपये तक प्रतिदिन किराये के कमरे पर 5 प्रतिशत की दर से तथा इससे अधिक किराये के कमरे पर 10 प्रतिशत की दर से लक्जरी टैक्स
- नये होटलो के व्यावसायिक संचालन हेतु लक्जरी टैक्स से वर्तमान में छूट 5 वर्षों के लिये उपलब्ध है। प्रदेश में नये होटलों के निर्माण को बढ़ावा देने तथा अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये रुपये 1 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाले होटलों को लक्जरी टैक्स से 8 वर्षों तक छूट